<u>न्यायालय सिविल जज (सी.डि.) मोहनलालगंज, लखनऊ</u>

मूलवाद संख्या–243/2015

गोकरन नाथ यादव बनाम छोटेलाल

<u>दिनांकः–05.12.2019</u>

पत्रावली पेश हुयी। वादी अधिवक्ता उपस्थित तथा प्रतिवादी सं0–1 अनुपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र सी–21 पर आदेश हेतु नियत। प्रार्थनापत्र सी–21 वादी की ओर से अन्तर्गत आदेश 5 नियम 20 विपक्षी सं0–2 राजेन्द्र प्रसाद चौबे पर प्रकाशन के जरिये तामील कराये जाने हेतु योजित किया गया है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद चौबे को कई बार विक्रय विलेख में उल्लिखित पते पर सम्मन न्यायालय द्वारा भेजा जा चुका है जो कि अदम तामील वापस आ गये। प्रतिवादी सं0–2 को उक्त वाद की पूर्ण जानकारी है किन्तु वह जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रतिवादी सं0–2 पर तामील हेतु प्रकाशन कराये जाने की याचना की गयी है।

अवलोकनीय है कि पत्रावली पर प्रेषित नोटिस/सम्मन तामीला रिपोर्ट संलग्न है जिसमें प्रतिवादी सं0–2 राजेन्द्र प्रसाद के उक्त पते पर न रहने का अंकन है। अतः विपक्षी सं0–2 पर तामील कराने हेतु प्रकाशन कराये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः समेकित तथ्यों के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस आशय से स्वीकृत किया जाता है कि वादी प्रतिवादी सं0–2 पर स्थानीय दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु कार्यवाही अन्दर सप्ताह सुनिश्चित करे। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 03.02.2020 को पेश हो। प्रतिवादी सं0–1 को उपस्थिति हेतु अंतिम अवसर।

सिविल जज (सी.डि.)
मोहनलालगंज, लखनऊ